उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 644–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2021–20 / 2009 टी0सी0– ।।। दिनांकः 04 अगस्त, 2021

समस्त निदेशक एवं
मुख्य अभियन्ता (पारेषण)
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

विषयः विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 10.08.2021 को कार्य बहिष्कार की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या–1155–कार्य / चौदह–पाकालि / 2021–45–के / 2001, दिनांक 02.08.2021 (छायाप्रति सलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करे। उक्त पत्र के माध्यम से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 10.08.2021 को कार्य बहिष्कार के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाये रखने के लिए निर्देश जारी करते हुए निर्गत निर्देशानुरूप अनुपालन सुनिश्चत कराने एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया है। आप विदित हैं कि उ0प्र0 शासन से उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना सं0–650 / 24–पी–2–20–1(121) / 04 दिनांक 03.07.2021 द्वारा छः माह के लिये हडताल निषिद्ध की है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम–30 सन् 1966) की धारा 04, 05, 06 एवं 07 में अवैध हडताल की स्थिति में शास्ति (Penalty) दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त महामारी अधिनियम 1897 धारा 3 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियम या आदेश की अवेहलना करता है तो वह भा0द0स0 (1860 का अधिनियम 45) की धारा–188 के अन्तर्गत (06 माह तक का साधारण कारावास अथवा रू0 1000 / –तक का जुर्माना) दडनीय होगा। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है। इस स्थिति में विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाये रखने के लिए कृपया निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1. अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायें ताकि उनके द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकें।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0). उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के नियंत्रणाधीन शक्ति भवन मुख्यालय पर एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।
3. क्षेत्रीय स्तर पर न्यूनतम् अधिशासी अभियन्ता स्तर को नोडल अधिकारी नामित करते हुये, उनके अधीन नियत्रण कक्ष की स्थापना करें तथा कार्य–बहिष्कार संबंधी सूचना केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्याः–0522–2288737, 2288738 तथा ई–मेल controlroom.uppcl@gmail.com है।) को संलग्न प्रपत्र में ससमय सूचित करें।
4. उक्त अवधि में विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाये रखा जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, 765 के0वी0 / 400 के0वी0 / 220 के0वी0 / 132 के0वी0 पारेषण विद्युत उपकेंद्रों / रिवर कासिंग्स / रिमोट टेलीकम्यूनिकेशन यूनिट्स / सबस्टेशन आटोमेशन सिस्टम्स / विद्युत उपकेंद्रों व संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

क्रमशः........2

5. यदि आपके क्षेत्र में कोई तोड़फोड़ की घटना होती है तो उसकी सूचना तुरन्त सम्बन्धित जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक को तथा केन्द्रीय नियत्रण कक्ष को भी दें।
6. जो कार्मिक प्रस्तावित आन्दोलन पर नहीं जाते हैं उनको समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनकी सेवाओं का उपयोग करें।
7. प्रस्तावित आन्दोलन के दौरान विद्युत आपूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल, अस्पताल, सुरक्षा स्थानों, रेडियों / टी0वी0 केन्द्रों, दूरभाष केन्द्रों, रेलवे स्टेशनों आदि को दी जायें।
8. किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को कोई अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा जो अवकाश पर जा चुके हों उन्हें तत्काल वापस बुला लिया जाये।
9. जिन बिन्दुओं पर रेलवे को विद्युत आपूर्ति की जा रही है उसकी आपूर्ति में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो इसके लिए सम्बन्धित रेलवे अधिकारी से सम्पर्क कर उनसे अनुरोध कर लिया जाये कि ये आपूर्ति की व्यवधान की स्थिति में अपने कार्मिकों से ठीक करने का सहयोग प्रदान करें।
10. स्थानीय ठेकेदारों, अधिकारियों / कर्मचारियों तथा पूर्व एवं कार्यरत प्रशिक्षुओं की यथा आवश्यक सेवायें ली जायें।
11. एनटी0पी0सी0, पी0जी0सी0आई0एल0. सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान, विद्युत सुरक्षा निदेशालय तथा उससे पंजीकृत ठेकेदारों से यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।
12. संविदाकार के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिकों की सेवायें कार्य बहिष्कार के दौरान लेने हेतु संविदाकारों के साथ बैठक कर तैयारी कर ली जाय तथा संविदा श्रमिकों की सूची, पता एवं मोबाइल नम्बर जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी जाये।
13. यदि कोई कार्मिक विद्युत उपकेन्द्रों में तोड़फोड़ करने अथवा अन्य कार्मिकों को प्रस्तावित आन्दोलन हेतु उकसाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।
14. अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण) अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलाये जाने के लिये विशेष रूप से सतर्क रहें, इसके लिये वे उत्तरदायी होंगे।
15. काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धान्त का दृढता से अनुपालन करें।
16. उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवायें भी यथासम्भव प्राप्त करने हेतु यथोचित कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 वी0के0 खरे)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्या 645(I)–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि / 2021 **तददिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन. लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव (गृह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / जोनल पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस आयुक्त, नोएडा एवं लखनऊ / रेंज पुलिस महानिरीक्षक / रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः........3

8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम / द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप सचिव (पारेषण–प्रथम / द्वितीय / तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 वी0के0 खरे)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

क्षेत्रीय इकाई/कार्यालय का नाम–..................................

समयः–.....................

दिनांकः–...............

क0सं0	जोन/मण्डल/खण्ड	कुल कार्मिकों की संख्या		अनुपस्थित कार्मिकों की संख्या		कार्य बहिष्कार में शामिल कार्मिकों की संख्या		कार्य बहिष्कार सम्बन्धी अन्य सूचना
		अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

नोडल अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

643
पत्रा० सं० ......-पारे०अनु०-16 / पाटाकालि / 20
पत्रावली सं० ....
क०सं० ....

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1155–कार्य / चौदह–पाकालि / 2021–45–के / 2001 दिनांक 02 अगस्त ~~जुलाई~~, 2021

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल–लखनऊ / दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ / पूर्वान्चल–वाराणसी / केस्को–कानपुर।
समस्त निदेशकगण, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ / विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को–कानपुर।
निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0, 11वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) / वाणिज्य / नियोजन / जाँच समिति / जानपद–पारे0।। / सचिव, विद्युत सेवा आयोग / उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / (पारेषण),
निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

महत्वपूर्ण / ई-मेल

विषय.– विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 10.08.2021 को कार्य बहिष्कार की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र स0–1998–औ0सं0 / 2021–64–ए0एस0 / 02 दि0 16.07.2021 (छायाप्रति सलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करे। उक्त पत्र के माध्यम से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 10.08.2021 को कार्य बहिष्कार करने सूचना सज्ञान मे आयी है। आप विदित हैं कि उ0प्र0 शासन से उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना सं0–650 / 24–पी–2–20–1(121) / 04 दिनाक 03.07.2021(छायाप्रति सलग्न) द्वारा छः माह के लिये हडताल निषिद्ध की है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम–30 सन् 1966) की धारा 04,05,06 एवं 07 में अवैध हडताल की स्थिति मे शास्ति (Penalty) दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त महामारी अधिनियम 1897 धारा 3 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियम या आदेश की अवेहलना करता है तो वह भा0द0स0 (1860 का अधिनियम 45) की धारा–188 के अन्तर्गत (06माह तक का साधारण कारावास अथवा रू0 1000 / –तक का जुर्माना) दडनीय होगा। एसी स्थिति मे कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है। इस स्थिति में विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाये रखन के लिए कृपया निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1. अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायें ताकि उनके द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकें।
2. निदेशक (का0प्र0 एव प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के नियत्रणाधीन शक्ति भवन मुख्यालय पर एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।
3. निगम स्तर पर न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर का नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनके अधीन नियत्रण कक्ष की स्थापना करें तथा कार्य–बहिष्कार संबधी सूचना केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या–0522–2288737, 2288738 तथा ई–मेल controlroom.uppcl@gmail.com है।) को संलग्न प्रपत्र में ससमय सूचित करें।
4. उक्त अवधि में विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाये रखा जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, ताप विद्युत गृहो, 765 के0वी0 / 400 के0वी0 / 220 के0वी0 / 132 के0वी0 पारेषण विद्युत उपकेंद्रों / रिवर क्रासिंग्स / रिमोट टेलीक्म्यूनिकेशन यूनिट्स / सबस्टेशन आटोमेशन सिस्टम्स / विद्युत वितरण उपकेंद्रों व संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।
5. यदि आपके क्षेत्र मे कोई तोडफोड की घटना होती है तो उसकी सूचना तुरन्त सम्बन्धित जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक को तथा केन्द्रीय नियत्रण कक्ष को भी दें।
6. जो कार्मिक प्रस्तावित आन्दोलन पर नहीं जाते है उनको समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनकी सेवाओं का उपयोग करें।

Immediate for T&C/UHL

DGM, UHL T&C

क्रमशः .2

प्रबन्ध निदेशक
उ० पा० ट्रा० का० लि०

7. प्रस्तावित आन्दोलनके दौरान विद्युत आपूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल, अस्पताल, सुरक्षा स्थानों, रेडियो/टी०वी० केन्द्रों, दूरभाष केन्द्रों, रेलवे स्टेशनों आदि को दी जायें।
8. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कोई अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा जो अवकाश पर जा चुके हो उन्हे तत्काल वापस बुला लिया जाये।
9. जिन बिन्दुओं पर रेलवे को विद्युत आपूर्ति की जा रही है उसकी आपूर्ति मे कोई व्यवधान न उत्पन्न हो इसके लिए सम्बन्धित रेलवे अधिकारी से सम्पर्क कर उनसे अनुरोध कर लिया जाये कि वे आपूर्ति की व्यवधान की स्थिति मे अपने कार्मिकों से, ठीक कराने का सहयोग प्रदान करें।
10. स्थानीय ठेकेदारों, अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पूर्व एवं कार्यरत प्रशिक्षुओं की यथा आवश्यक सेवाये ली जायें।
11. एन०टी०पी०सी०, पी०जी०सी०आई०एल०, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान, विद्युत सुरक्षा निदेशालय तथा उससे पंजीकृत ठेकेदारों से यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।
12. संविदाकार के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिकों की सेवायें कार्य बहिष्कार के दौरान लेने हेतु संविदाकारो के साथ बैठक कर तैयारी कर ली जाय तथा संविदा श्रमिकों की सूची, पता एवं मोबाइल नम्बर जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी जाये।
13. प्रस्तावित आन्दोलन के कारण राजस्व वसूली प्रभावित न हो। इसके लिये खडीय लेखाकार(कार्य) खडीय लेखाकार(राजस्व) एवं सहायक लेखाकार तथा लेखालिपिक राजस्व वसूली का कार्य भी करेंगे।
14. यदि कोई कार्मिक विद्युत उपकेन्द्रों में तोडफोड़ करने अथवा अन्य कार्मिको को प्रस्तावित आन्दोलनहेतु उकसाने मे संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।
15. अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण) अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलाये जाने के लिये विशेष रूप से सतर्क रहें, इसके लिये वे उत्तरदायी होंगे।
16. काम नही तो वेतन नही के सिद्धान्त का दृढ़ता से अनुपालन करें।
17. उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियो की सेवायें भी यथासम्भव प्राप्त करने हेतु यथोचित कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1155–(1)–कार्य–चौदह/पाकालि/2021, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव (गृह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस आयुक्त, नोएडा एवं लखनऊ/रेंज पुलिस महानिरीक्षक/रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य अभियन्ता, सी०एम०यू०(डी०), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि केन्द्रीय बहिष्कार/हडताल नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाइन) का सूचारू रूप से सम्पादन सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) एवं कार्य बहिष्कार/हड़ताल से सबंधित मामलो के नोडल अधिकारी उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कार्मिको की उपस्थिति सकलित करवाकर निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) को अन्य सूचनाओं के साथ उपलब्ध करायेगें।
7. अधीक्षण अभियन्ता जानपद (मुख्यालय), 9वां तल, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, प्रभारी हेल्पलाइन, सी०एम०यू०(डी०), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रभारी हेल्पलाइन, कक्ष सं0–429, चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक